कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक / / दिनांक–

जनपद गाजीपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनाकं–06.05.2026 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

जनपद गाजीपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की दिनांक–06.05.2026 को आहूत समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही।

1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।

3– अधिशासी अभियन्ता(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।

4– हाइड्रोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, वाराणसी,

5– अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर प्रखण्ड, गाजीपुर।

6– सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग, गाजीपुर।

7– समस्त सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।

8– समस्त जू0इं0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।

9– जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।

10– डी0पी0एम0– टी0पी0आई0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।

11– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।

12– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।

13– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

''जल जीवन मिशन कार्यक्रम'' के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 06.05.2026 को आहूत की गयी। बैठक में पेयजल योजनाओं की प्रगति, जलापूर्ति की स्थिति, पाइप लाइन की स्थिति, विद्युत संयोजन, आपरेशन एवं मेन्टेनेन्श एंव स्त्रोतो की स्थिरता के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गयी। जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1– सभी कार्यदायी फर्म निर्माणाधीन एवं लक्षित पेयजल येाजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

2– जिन योजनाओं में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त, लीकेज अथवा तकनीकी समस्या आ रही है उसका तत्काल समाधान कराना सुनिश्चित करें।

3– पाइप लाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त की गयी सड़क/मार्ग को गुणतापूर्वक पुर्नस्थापना कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आम जनमानस को असुविधा का समाना न करना पड़े।

4– लोक निर्माण विभाग एवं सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सड़क/मार्ग मरम्मत के कार्यो के सम्बन्ध में नियमित समीक्षा की जाय।

5– योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मानकानुसार कार्य कराया जाय तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

6– समस्त सहायक अभियन्ता/जू0इं0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र की योजनाओं एव सड़क पुर्नस्थापना के कार्यो का नियमित निरीक्षण करते हुए आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समीक्षा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पाया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही 763 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 77 नग योजनाएं पूर्ण की गयी है जो लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। जिस पर कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था नहीं हो पायी है। फलस्वरूप निर्देश दिये गये कि जनपद में 212 नग योजनाएं ऐसी है जिनकी प्रगति 76 प्रतिशत से 99 प्रतिशत है। उन योजनाओं की साप्ताहिक कार्य योजना तैयार करते हुए 30 जून 2026 तक पूर्ण कर लिया जाय। इन योजनाओं के पूर्ण होने से जनपद की प्रगति लगभग 38 प्रतिशत तक हो जायेगी। कार्यदायी संस्थावार प्रगति विवरण निम्नवत हैः–

Sl. No	Name of Firm	Total No. of W/S Scheme	Total No. of Revenue Village	Complete Schemes	Ongoing					
					0-25%	26-50%	51-75%	76-99%		
								76-80%	81-90%	91-99%
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
1	मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो	176	404	50	25	27	24	5	21	24
2	मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा	175	762	17	32	44	37	8	27	10
3	मेसर्स एच0एफ0सी0एल0	412	1030	10	59	128	98	38	72	7
Total-		**763**	**2196**	**77**	**116**	**199**	**159**	**51**	**120**	**41**

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक– 2487/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 30.10.2025 एवं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 D.O. No. W-JJm-68/2025-JJM-IV-DDWS दिनांक 27.10.2025 के द्वारा स्त्रोत स्थिरता की कार्ययोजना बनाकर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त। उक्त हेतु बैठक में उपस्थित हाइड्रोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, वाराणसी, अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर प्रखण्ड, गाजीपुर एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग, गाजीपुर के

द्वारा जल स्त्रोतो की स्थिरता के कार्य योजना का परीक्षणोपरान्त सहमति व्यक्त करने पर कार्य योजना को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार शासनादेश मे निहित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार योजनाओं को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी
गाजीपुर।

पृ0सं0– / / दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वारा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0–डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0–टी0पी0आई0, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।